POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 31.10.2026

हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त थाना खुल्दाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार

थाना खुल्दाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2026 धारा 109(1),191(2),352 ,351(3) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित 01अभियुक्त अंकुश उर्फ अनमोल सिंह पुत्र स्व0 बृजमोहन सिंह निवासी 78 हिम्मतगंज थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज को आज दिनांक- 31.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर शिव मन्दिर के पास थाना क्षेत्र खुल्दाबाद से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि वादी आशुतोष कुशवाहा पुत्र भोलानाथ कुशवाहा निवासी प्रेम नगर निहालपुर भावापुर थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि उनके माँ की तबीयत खराब होने के कारण उनकी दवा लेने के लिए घर से निकले थे तभी रास्ते में अभियुक्तों द्वारा उनके ऊपर फायरिंग कर दी गयी। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 113/2026 धारा 109(1),191(2),352 ,351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंकुश उर्फ अनमोल सिंह पुत्र स्व0 बृजमोहन सिंह निवासी 78 हिम्मतगंज थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज उम्र करीब 26 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 113/2026 धारा 109(1),191(2),352 ,351(3) बी0एन0एस0 थाना खुल्दाबाद कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चेतन चौधरी, थाना खुल्दाबाद कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह, थाना खुल्दाबाद कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. म0उ0नि0 प्रकाशनी मिश्रा, थाना खुल्दाबाद कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 आलोक कुमार सिंह, थाना खुल्दाबाद कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. म0का0 विनती कुमारी, थाना खुल्दाबाद कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. म0का0 निशा कुमारी, थाना खुल्दाबाद कमिश्नरेट प्रयागराज।

हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल साड़ी का लेस व 01 चाकू बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में थाना बहरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-172/26 धारा-103(1)/351(3) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित

अभियुक्ता सोना देवी पत्नी पूर्णमासी लाल मौर्या निवासिनी ग्राम मंसूरपुर थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-31.10.2026 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंसूरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल साड़ी का लेस व 01 चाकू बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के पश्चात नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्ता द्वारा अपने पुत्र की कपड़े की लेस से गला दबाकर हत्या कर देने व बेटी के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में मुकदमा वादी पूर्णमासी लाल मौर्या पुत्र स्व0 रामलाल मौर्या निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बहरिया पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-172/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्ता सोना देवी से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उनका 11 वर्षीय बेटा अक्सर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था, जिससे वह अत्यधिक परेशान हो चुकी थीं। उसने अपने बेटे को समझाने के कई प्रयास किए लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अक्सर बिना बताए इधर-उधर घूमता रहता था। दिनांक-28.10.2026 को उनका बेटा थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरायसुल्तान में रामलीला देखकर देर रात घर लौटा और दरवाजा खटखटाने पर जब अभियुक्ता ने दरवाजा खोला और उसे डांटा, तो वह उस रात भी गुस्सा होकर घर में दूसरे बेड (चौकी) पर जाकर सो गया। रात्रि में जब बेटा और बेटी गहरी नींद में सो गए, तब रोज-रोज के क्लेश से तंग आकर अभियुक्ता ने अपनी ही साड़ी का लेस फाड़ा और उसे सोते हुए बेटे के गले में फंसाकर कसने लगीं। गले पर फंदा कसने के कारण जब रामसुख तड़पने लगा और अपने पैर चौकी पर पटकने लगा, तो इस खटपट की आवाज सुनकर उनकी बेटी संगीता की नींद खुल गई और उसने यह पूरा मंजर देख लिया। जब बेटी ने पूछा तो अभियुक्ता ने उसे धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे भी जान से मार देंगी। मां की इस धमकी से डरकर उस समय तो बेटी ने किसी को कुछ नहीं

बताया, लेकिन बाद में उसने पूरी सच्चाई अपने पिता को बता दी, थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता सोना देवी की निशांदेही पर हत्या में प्रयुक्त साड़ी का लेस व एक 01 चाकू बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

सोना देवी पत्नी पूर्णमासी लाल मौर्या निवासिनी ग्राम मंसूरपुर थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 40 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-172/26 धारा-103(1)/351(3) भा0न्या0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

आलाकत्ल साड़ी का लेस व 01 चाकू।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष मानवेन्द्र कुमार सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. व0उ0नि0 अमित कुमार सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 मारुती नन्दन तिवारी, चौकी प्रभारी सिकन्दरा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. म0उ0नि0 रिचा वर्मा, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. म0उ0नि0 रेशमा कुमारी, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. म0का0 मोनिका कुमारी, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. रि0का0 रईस अहमद, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।